

## परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) गरडा से जैसवा

:- गरडा से जैसवा को जोड़ने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान सर्वे संख्या / कम्पार्टमेंट संख्या -

ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) -

ग. वन मण्डल -

3.98 हेक्टेयर

बारां

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।

2. प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम सभा की संस्तुति-स्वीकृत/अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि .....

स्थान .....

(बड़े अक्षरों में नाम) .....

पता .....

एस० एस० मीना

अधिशायी अभियन्ता

प्रस्ताव की क्रम संख्या SA/नि०वि०ख०ग० शाहाबाद

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

हस्ताक्षर

ग्राम सेवक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पटवारी हल्का

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

वन पाल

नाम: सीमोद (क०३०५)



## बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स.

कोटा

पचायत  
2380

G. P. 11

वर्ष

प समिति.....गरगा

पंचायत समिति विशानगंवा

जिला बारा

[illegible]



प्रपत्र संख्या - 1

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड. सन्स

कोटाक 2380/2008  
पंचायत  
G. P. 11  
वर्ष

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति

गारडा

पंचायत समिति

विधानसभा

जिला

बारा

वर्ष

बैठक होने की तारीख

1

बैठक का स्थान

2

पंच / सदस्य का नाम

3

उपस्थित सदस्यों का नाम

4

बैठक की कार्यवाही का विवरण

कृषि क्षेत्र के किसानों के पुराने पत्रों पर  
पानी भर, देखा है। किसानों के पुराने पत्रों  
अन्य लोगों से इनका पानी पकड़ कर लिया है।  
असु सुनवाई नहीं करवाती।

सही


सचिव प - गाँव पंच-की ओर 2500 रुपये  
ने बताया कि कुछ किसानों के पानी नहीं  
पकड़ कर नहीं लेता। अन्य लोगों को  
पुनः पानी भरने से परवाज की कोशिश  
करना चाहिए। अन्य लोगों को कोशिश  
करना चाहिए। पानी नाली को सेकुरिटी  
करना चाहिए।

कम

समाप्त-10 : गाँव पंच अध्यक्ष को समझ  
आया कि गाँव से पुराने पत्रों पर  
पकड़ लिया है कि उसे जो पत्र पकड़वाती  
हमारे पास नहीं है। वह हमारे पास है।

समाप्त

अधीन





८१६ (१८०१/२५)  
शाला प्रामा  
मार्ग  
१०००

10

[illegible]

10/11/2020

21/01/

100

03/16/20

函

5511

1955

21/07/2021



आज दिनांक ०२/१०/२०१५ को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क गरडा से जैसवा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक १० पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में ५० प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

21.10.2015

सरपंच ग्राम पंचायत  
ग्राम पंचायत, गरडा  
पं० स० विश्वरूप (बाराँ)  
पंचायत समिति किशनगंज

सचिव  
ग्राम पंचायत, गरडा  
पं० स० विश्वरूप (बाराँ)

पंचायत समिति किशनगंज



आज दिनांक ..... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गरडा से जैसवा के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 10/02.10.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है । अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड किशनगंज

रेंजर वन क्षेत्र  
किशनगंज / केदारगंज /  
भक्तसिंह / नरसिंह

विकास अधिकारी  
प.स. किशनगंज



FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Rajasthan  
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 18/2014

Dated 25.11.2014

**To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.98 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Garda to Jaiswan** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Garda and Jaiswan** village(s) in **Kishanganj** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.98** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure **(VIII)**
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.

(Lalit Kumar Gupta)  
Collector & D.M. Signature

(Full name and official seal of the District Collector)